

(1)

अति-आवश्यक

संख्या:- ई0डी0एन0-एच0ई0(21)बी(15)15/2018-वी-भाग-।
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1
Tel:0177&2653120, Extn-234_E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax:2812882

दिनांक शिमला-1 दिसम्बर,2018

सेवा में

समस्त उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश

विषय:-

अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती।

उपरोक्त विषय पर, सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र संख्या:शिक्षा-बी-छ(10)9/2012-1- लूज दिनांक 08.11.2018, के अनुसार, "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना पर नवम्बर, 2018 तक किये गए कार्यक्रमों पर हुए व्यय की अदायगी को सुनिश्चित करने बारे चाहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित अनुसार, आपको आदेश दिए जाते हैं कि "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना पर 30 नवम्बर, 2018 तक किये गए कार्यक्रमों के व्यय की अदायगी सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं/ राजकीय उच्च पाठशालाओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

- हस्ता -

(डा० प्रमोद चौहान),
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा०),
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन	संख्या:	सम	दिनांक	शिमला-1	दिसम्बर,2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम	आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-				
1	सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2, को उनके कार्यालय प्राप्त पत्र संख्या:शिक्षा-बी-छ(10)9/2012-1- लूज दिनांक 08.11.2018 के सन्दर्भ में।				
2	तकनीकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को पत्र को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाने हेतु।				
3	रक्षक नस्ति।				

शिक्षा निदेशालय जकारातग लिना

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा०),
हिमाचल प्रदेश

29 DEC 2018

1

अति-आवश्यक

संख्या:- ई0डी0एन0-एच0ई0(21)वी(15)15/2018-वी-भाग-1
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1
Tel:0177&2653120, Extn-234_E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax:2812882

सेवा में

दिनांक

शिमला-1

दिसम्बर,2018

1. समस्त उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश
2. समस्त प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक, राजकीय वरि0मा0/उच्च विद्यालय, हिमाचल प्रदेश

30 DEC 2018


विषय:-

स्वर्णिम हिमाचल पत्र के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के दिशा निर्देशों के अनुमोदन बारे :-

उपरोक्त विषय पर, सरकार से प्राप्त पत्र संख्या:ईडीएन-वी-छ(10)-9/2012-1 -लूज दिनांक 21-12-2018 के अनुसार अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित पाठशाला की स्कूल प्रबन्धन समिति का यह दायित्व रहेगा कि समिति पाठशाला में पूर्व में शिक्षा ग्रहण कर चुके विद्यार्थी जोकि अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर चुके हों, की पहचान करेगी, ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके तथा उन्हें उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पाठशाला को परामर्श (Mentoring) देने बारे प्रेरित किया जा सके। साथ ही वे मोती, परामर्श (Mentoring) देने के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत (Role Model) बनें और नशा निवारण, पौधारोपण व प्लास्टिक निवारण इत्यादि बारे भी अपना योगदान दे सकते हैं तथा नामपट्ट पर नाम लिखवाने के लिये निर्धारित 5000/- रुपये की राशि लेने व न लेने तथा फार्म भरने बारे व अन्य तथ्य/ दस्तावेज इत्यादि प्राप्त करने के लिये भी स्कूल प्रबन्धन समिति अधिकृत किया गया है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि नामले में उपरोक्त अनुसार और इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26-07-2018 व 16-10-2018 में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवाएं।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने-अपने जिला के समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार व इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26-07-2018 व 16-10-2018 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।



(डा0 प्रमोद चौहान),
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0),
हिमाचल प्रदेश


पृष्ठांकन	संख्या:	सम	दिनांक	शिमला-1	दिसम्बर,2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-					
1					
2					
3					

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा0),
हिमाचल प्रदेश

DDNR
9-15
01/11/18

पृष्ठांकन संख्या:- शिक्षा जी 2 आर (अखण्ड शिक्षा ज्योति)/2018.....9342.....दिनांक 1-1-19 ऊना
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

सभी राजकीय व०मा०पा० एवं उच्च पाठशाला के प्रधानाचार्यो व मुख्याध्यापको को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त जानकारी इस कार्यालय को 15 जनवरी 2019 तक उपलब्ध करवाये ताकि रिपोर्ट शिक्षा निदेशक उच्चतर को समय पर भेजी जा सके । देरी के लिये आप स्वयं जिमेबार होंगे ।


शिक्षा उप निदेशक(उच्चतर)
ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)